



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या.....1570 /धनबाद दिनांक.....18/6/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक—7099/साठशा०, दिनांक—
29.05.2018 के द्वारा व्यवसाय हेतु निर्गत आचरण प्रमाण—पत्र के आधार पर
रुबी सहाय, पिता— बिशनुदेव नारायण, सा०—रामनगर पाण्डरपाला, पो०— बी०.
पोलिटेक्निक थाना— बैंक मोड़, जिला— धनबाद (झारखण्ड) के विरुद्ध थाना
अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छ: माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त, धनबाद।
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या 15/18 /धनबाद दिनांक 18/6/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक-6872/साठशा०, दिनांक-
18.05.2018 के द्वारा व्यवसाय निबंधन हेतु निर्गत आचरण प्रमाण—पत्र के आधार
पर विजय किशोर सहाय, पिता— स्व० अवध किशोर सहाय, सा०—राम नगर
नियर काली मंदिर पाण्डारपाला, पो०—बी०. पोलिटेक्निक, थाना— भूली, जिला—
धनबाद (झारखण्ड) के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छः माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



18/6/18
उपायुक्त धनबाद /
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD



उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या 1572 /धनबाद दिनांक 18/6/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक-7097/साठशा०, दिनांक-
29.05.2018 के द्वारा व्यवसाय हेतु निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र के आधार पर
तृप्ति श्री वास्तव, पिता- विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, सा०-हाउसिंग कॉलोनी,
पो०-धनबाद, थाना- धनबाद, जिला- धनबाद (झारखण्ड) के विरुद्ध थाना
अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र ४ माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त, धनबाद /
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या 1568 / धनबाद दिनांक 18/6/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक—7102/साठशा०, दिनांक—
29.05.2018 के द्वारा व्यवसाय हेतु निर्गत आचरण प्रमाण—पत्र के आधार पर
शिखा सहाय, पिता— राम लखन प्रसाद, सा०—रामनगर नियर काली मंदिर
पाण्डरपाला, पो०—बी० पोलिटेक्निक, थाना— भूली ओ०पी०, जिला— धनबाद
(झारखण्ड) के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छः माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त धनबाद /
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या 1566 /धनबाद दिनांक 18/6/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक-6870/साठशा०, दिनांक-
18.05.2018 के द्वारा व्यवसाय निबंधन हेतु निर्गत आचरण प्रमाण—पत्र के आधार
पर बिनोद कुमार श्रीवास्तव, पिता— स्व० अश्विनी कुमार, सा०—क्वाटर
2ई०/629 भूली आउनशिप, पो०—भूली, थाना— भूली ओ०पी०, जिला— धनबाद
(झारखण्ड) के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छः माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त/धनबाद /
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या.....1567...../धनबाद दिनांक.....18/6/18.....

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक-7101/साठशा०, दिनांक—
29.05.2018 के द्वारा व्यवसाय हेतु निर्गत आचरण प्रमाण—पत्र के आधार पर
अल्पना श्रीवास्तव, पिता— विनोद कुमार श्रीवास्तव, सा०—/ / / 1629 भूली
आउनशीप, पो०—भूली नगर, थाना— भूली ओ०पी०, जिला— धनबाद (झारखण्ड)
के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छः माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त धनबाद /
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या 1569 / धनबाद दिनांक 18/6/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक-6871/साठशा०, दिनांक-
18.05.2018 के द्वारा व्यवसाय निबंधन हेतु निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र के आधार
पर अजय किशोर सहाय, पिता— स्व० अवध किशोर सहाय, सा०—रामनगर नियर
काली मंदिर पाण्डरपाला, पो०—बी० पोलिटेक्निक, थाना— भूली ओ०पी०, जिला—
धनबाद (झारखण्ड) के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छः माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त, धनबाद /
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD



उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।
(सामान्य शाखा)

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या 1573 / धनबाद दिनांक 18/6/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक-6895/साठशा०, दिनांक-
18.05.2018 के द्वारा व्यवसाय हेतु निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र के आधार पर
निरज कुमार, पिता- स्व० शिव शरण प्रसाद, सा०-एम.आई.जी.(आर) 26
हाउसिंग कॉलोनी, पो०-धनबाद, थाना- धनबाद, जिला- धनबाद (झारखण्ड) के
विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छः माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त, धनबाद /
DEPUTY COMMISSIONER
DHANBAD